

**कार्यलय जिला शिक्षा अधिकारी
जशपुर (छ0ग0)**

क्रमांक/7004RMSE/RTE/मॉडल स्कूल/2025.26,

जशपुर दिनांक- 02/04/2025

प्रति,

सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
वि.खं.-, जशपुर (छ0ग0)

विषय:- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) योजना अन्तर्गत जिले में संचालित डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शासकीय एवं RTE कोटे पर असुविधाग्रस्त छात्रों का प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ :- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर, रायपुर का पत्र क्र. विद्या/सी/550(II)/विविध / RTE / Portal / 2024-25 / 663 / नवा रायपुर / दिनांक 25.11.2024
----0----

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत जिले के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) योजना अन्तर्गत संचालित सभी 07 डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों (23 सीटों) पर एवं निःशुल्क शासकीय कोटे के तहत बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग हेतु आरक्षित 8 प्रतिशत सीटों (07 सीटों) पर पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश हेतु निर्देश निम्नानुसार है -

1. जिले के सभी विकासखण्डों में संचालित प्रत्येक डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा (KG1/LKG) में प्रवेश हेतु 15 मई 2025 तक आवेदन प्राप्त किया जावेगा।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों (23 सीटों) पर निम्नानुसार पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जावेगा -

- विद्यार्थी संबंधित विकासखण्ड का निवासी हो, जिस विकासखण्ड के डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन कर रहा है।
- प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु 15 मई 2025 की स्थिति में छात्र की न्यूनतम आयु 4-5 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् 16 मई 2020 से 15 मई 2021 के मध्य जन्मतिथि होने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी।
- निम्नलिखित श्रेणी के पालक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु पात्र होंगे -

	1.असुविधा प्राप्त समूह	2.दुर्बल वर्ग
पात्रता	अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/परिलक्षित आदिम जनजाति (PTG)/परंपरागत बनवासी/दिव्यांगजन बच्चे (40 प्रतिशत से ज्यादा)	गरीबी रेखा (B.P.L) के नीचे/एच0आई0व्ही0 (H.I.V.) पीड़ितों के बच्चे/अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चे

निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन होने पर विद्यार्थियों का चयन लाटरी पद्धति से करते हुये चयन प्रक्रिया पूर्ण कर जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जावेगा।

3. निःशुल्क शासकीय कोटे के 8 प्रतिशत सीटों (07 सीटों) पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल बी0पी0एल0 श्रेणी के पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार पूर्ण किया जावेगा।

- विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति के माध्यम से किया जाना है।
- 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रक्रिया जैसे आवेदन पत्र आमंत्रित करना, क्रमवार सूचीबद्ध करना तथा आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों का चयन की पूरी कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण कर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के भीतर चयन की पूरी कार्यवाही किया जाना है।
- प्रत्येक डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में नर्सरी की प्रारंभिक कक्षा के लिए स्वीकृत कुल 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए जिले में उक्त वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगा। इस हेतु जिले में विगत जनगणना एवं उक्त वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उक्त वर्गों के लिए प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा हेतु आरक्षित की जाने वाली सीट संख्या निम्नानुसार होगी –

क्र	अनुसूचित जनजाति (57 प्रतिशत)	अनुसूचित जाति	योग
1	06	01	07

➤ निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन होने पर निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित किया जावेगा –

- दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक) बच्चे ।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता (दोनों) की मृत्यु हो गयी हो।
- विधवा माता के बच्चे।
- छुड़ाए गये बाल श्रमिक बच्चे जो सक्षम कलेक्टर द्वारा प्रमाणित हो।

उक्त प्राथमिकता निर्धारित कर शेष विद्यार्थियों का चयन लाटरी पद्धति से किया जावेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC एवं ST) के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर ऐसी रिक्तियां जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, को अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी द्वारा भरें एवं इसके विपरीत स्थिति में अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों द्वारा भरें। अगर निःशक्त बच्चों का आवेदन न हो तो उसी आरक्षण वर्ग के पात्र बच्चे से भरा जाए।

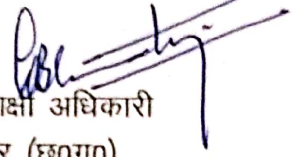
प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र किया जावे –

क्र	आवश्यक प्रमाण पत्र	आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख
1	पात्रता हेतु प्रमाण पत्र	अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/परिलक्षित आदिम जनजाति (PTG)/परंपरागत बनवासी संवर्ग के पालकों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। अथवा दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक) का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अथवा गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल परिवार) का बीपीएल (B.P.L.) कार्ड या बीपीएल सर्वे सूची की प्रमाणित प्रति यथा अन्त्योदय कार्ड सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की जारी सूची अथवा एचआईवी (H.I.V.) पीड़ित पालक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अथवा अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चे का CWC (चाइल्ड वेलफेयर समिति) द्वारा जारी प्रमाण पत्र या प्रमाणित सूची।
2	बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र	नगर निगम का प्रमाण पत्र/अस्पताल का कार्ड/ANM या आंगनवाड़ी का कार्ड/कचहरी से बना शपथ पत्र (एपिडेक्ट) – (कोई एक)
3	पहचान प्रमाण पत्र	आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस आदि
4	निवास प्रमाण पत्र	आधार कार्ड/बिजली का बिल/राशन कार्ड आदि

5. प्रत्येक डीओवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जावे-

क्र	प्रक्रिया बिन्दु	समयावधि
1	छात्रों का ऑफलाईन आवेदन एवं आवश्यक प्रमाण पत्र संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना।	10 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक
2	संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जांच एवं पात्र विद्यार्थियों का 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा तथा 25 प्रतिशत RTE कोटा की सीटों हेतु पृथक-पृथक सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर को प्रस्तुत करना।	16 मई 2025 से 31 मई 2025 तक
3	जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन।	01 जून 2025 से 10 जून 2025
4	संबंधित डीओवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना	16 जून 2025 से 30 जून 2025
5	बी.ई.ओ. द्वारा प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की जानकारी डीओवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलवार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जाना।	01 जुलाई 2025 से 08 जुलाई 2025 तक
6	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शेष रिक्त आरक्षित सीटों पर निर्णय करना।	15 जुलाई 2025 तक

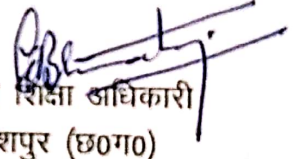
6. **प्रचार-प्रसार :-** चयन के लिए निर्धारित कार्यक्रम का प्रकाशन जिलाए जनपदए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नवीन डी0ए0व्ही0 मख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ विकासखण्ड के सभी ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड में भी करें। क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्र को इसकी सूचना भेज कर पालकों को उक्त प्रक्रिया की जानकारी देने तथा डी0ए0व्ही0 मख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित करने के लिए कार्यवाही करें। क्षेत्र में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में समाचार के रूप में इसका प्रकाशन कर प्रवेश के लिए प्रचार-प्रसार करें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जशपुर (छ0ग0)

क्रमांक/7005 RMSE/RTE/मॉडल स्कूल/2025.26,
प्रतिलिपि :-

जशपुर दिनांक- 02/04/2025

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला मिशन समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला-जशपुर की ओर सूचनार्थ।
कृपया अपने जनपद क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जशपुर (छ0ग0)